

FORM No. III

फर्द अहकाम

ब्लैकबोर्ड नुम्बर (नियम 26) (फॉर्म 36)

मालय उच्च न्यायालय अधिकारी एवं उपबन्ध मजिस्ट्रेट खण्डेला

शांति देवी बनाम अनील कुमार शर्मा

मुकदमा नं. दावा मुकदमा नं. 25 गज 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	गुण्य व परिणत अहकाम जो हुक्म की परिणत में जारी हुए
-------	---------------------------------------	--

12⁰²/₁₈
 वकील वादीगण/वादी श्री विजय प्रकाश शर्मा
 ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 13.02.18 को पेश हो।

24⁰⁴/₁₈
 इन्जली पेशी देने पर मुकदमा आज पेश हुई। अहकाम तथा अहकाम का स्वीकार होने के बाद अहकाम जारी की दिनांक 22/6/18 को पेश हो।

29⁰⁶/₁₈
 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अग्रेज न्याय आपके द्वारा-2018 के तहत कैंप स्वतः अदालत सेवा केंद्र ललमता में पेश हुई। चूंकि उल्लेख तन्नास्मा से संबंधित है अतः वकील वादीगण ने उल्लेख में डाकूमिन्क डिफेंस कामाया जाने का निर्वहन किया अतः अपिधारी तहसीलदार खण्डेला से विस्तृत विभाजन अस्ताव तंत्रा कवाला न्याय संगत उतीत होता है।

अतः उल्लेख में डाकूमिन्क डिफेंस की जारी की जाती है कि तहसीलदार खण्डेला वादग्रस्त आराजी ख. नं. 24 एका 0.81 है। तन ग्राम किसनपुरा (ललमता) का सिवादीत फर्को की सूचित जाते हुए उनकी उपस्थिति में मौका-

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अदालत
हुकम
में



निरीक्षण का वर्तमान कक्षा कायदा एवं "कारि मीटिंग्स
रूड वाउचर्स" के सिद्धांत के उद्घाटन पर प्रथम-
प्रथम लगातार काम करते हुए मिनट बड़ा नम्बर
उत्तरा हरियाणा में तैयार करते हुए विस्तृत
विभाजन उद्घाटन तैयार कक्षा कायदा उद्घाटन में
उद्घाटनी तारीख पेशी दिनांक 09/08/18 से पूर्व
मिजवाजा जाना सुनिश्चित करें। वास्ते प्राप्त है
विस्तृत विभाजन उद्घाटन दिनांक 09/08/18 को
पेश है।

शामीर खान
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(आरटि डेप्युटी) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

शान्ति देवी बनाम श्री उमिल कुमार

दावा बाबत तलाक़ा व तय्ये निवेधाना

मुकदमा नम्बर :- 25/2018

निर्णय दिनांक :- 22/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री विजय कुमार शर्मा

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसील खण्डेला वास्ते आजादी ख. नं. 24 (कवा 0.8) हे. तल ग्राम किशतपुर (लावता) का क्विरीत फांको के घुचित कते हुए उतकी उपास्थिति में मौजूद निरीमुठा का वतमान कच्चाकार ख "बहि मोस्ट एंड वाउडस" के सिद्धान्त के आधार पर प्रथक-प्रथक लगान काम कते हुए मित बदा नम्बर डालक नमशा ट्रेस में तमीम कते हुए विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार कवाकत उकठा में नियत आजादी तारीख पेरी दिनांक 08/08/18 से पूर्व न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह आज दिनांक 22/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख

(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रुपया
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	रुपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रुपया
6 कमिश्नर की फीस	रुपया
7 आदेशिका की तामील	रुपया
जोड़	जोड़

* पत्नी श्री सुवा लाल जाति ब्राह्मण निवासी बिहारीपुर
तहसील छठेला जिला सीकर (राज.)

- बादिया

बनाम



* पुत्र श्री स्व. सुवा लाल

② मैना देवी पत्नी श्री स्व. सुनील कुमार

③ दिनेश कुमार पुत्र श्री स्व. सुनील कुमार

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बिहारीपुर तहसील छठेला
जिला सीकर (राज.)

④ उपजियला छठेला

⑤ पटवारी हल्का लावता तहसील छठेला

⑥ राजस्वान सल्ला जीर्ण श्रुतिधारी तहसीलमा छठेला

- प्रतिबन्धि

डा.
जायपुर शाखा
(सीकर)
सहायक कलेक्टर
(जायपुर) जयपुर